केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

F. 11029-06/2013-KVS/(HQ)/(Admn-1) / Vol-II Date: 13.08.2015

OFFICE-ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) vide office-order of even number dated 04.03.2014, conveyed approval of Government of India, for establishing 54 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya, Narayanpur, District Narayanpur, Chhattisgarh is one of these 54 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, on permanent grant basis, the sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector immediately, at the following location:-

S.No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1.	Narayanpur, District Narayanpur	C/o Balak Hostel, Near Educational Complex Village Garanji, Post & Distt. Narayanpur Chhattisgarh-494661

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2015-16 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order.

(Dr. E. Prabhakar)
Joint Commissioner (Pers.)

Distribution:-

1. PS to HRM-cum-Chairman KVS.
2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
4. PS to Commissioner, KVS.
5. PS to Additional Commissioner (Admn. / Acad.), KVS.
6. Joint Commissioner (Acad), KVS, Hqrs with a request to issue staff sanction order.
7. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Raipur request to liaison with the sponsoring authority and make the KV functional. He is also requested to inform the name of Parliamentary Constituency in which this school falls, for record of this office
8. The Principal Secretary (Education), Govt. of Chhattisgarh.
9. The District Collector, Narayanpur, District Narayanpur.
10. The Superintending Engineer, KVS w.r.t note F.110111/329/2014-KVSHQ/Works dt. 27.07.2015.
11. Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar , Delhi-92
12. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
13. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
14. Director, all ZIETs, KVS.
15. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
16. President/ General Secretary recognized KVS Staff Association.
17. Guard File.

P. Rahul 13/8/15
DC (EDP)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

फ.-2013/06-11029KVS(HQ)/(Admn-I)/Vol. II

दिनांक:13 .08.2015

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) के दिनांक 04.03.2014के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 54 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय नारायणपुर , जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ , उपरोक्त स्वीकृत 54 नए केन्द्रीय विद्यालयों मे से एक है।

चूंकि निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालय के मामले में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में भूमि पट्टे पर दी जा चुकी है अतः नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नये केन्द्रीय विद्यालय निम्नलिखित स्थान पर प्रारंभ करने के लिए आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है-:

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	नारायणपुर, जिला नारायणपुर	C/o बालक हॉस्टल , नजदीक शिक्षण परिषद , गाँव गारंजी , पोस्ट एवं जिला - नारायणपुर, छत्तीसगढ़-494661

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2015-16 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा में 1 सेक्शन (संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओ में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

(डॉ ई प्रभाकर)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव-।
2. सचिव ,स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता (मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.
3. अपर सचिव,स्कूल शिक्षा (मा.सं.वि.म .एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5 अपर आयुक्त ,प्रशा/.शै.केविसं के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त(शैक्षिक), केविसं, मु., को इस अनुरोध के साथ कि वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करे।
7. उपायुक्त, केविसं क्षे .का. रायपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के .वि .को संचालित करे। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
8. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी शिक्षा छत्तीसगढ़ सरकार।
9. जिला कलेक्टर, नारायणपुर, जिला नारायणपुर।
10. अधिक्षण अभियंता केविसं को उनकी फ़ाइल संख्या F.110111/329/2014-KVSHQ/Works दिनांक 27.07.2015 के संबंध में ।
11. सचिव, सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेन्टर , प्रीत विहार , दिल्ली-92 ।
12. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
13 उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय
14 निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
15 उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16 अध्यक्ष/ महासचिव, मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
17 गार्ड फ़ाइल।